Received/uploaded- 21/7/17

उपायुक्त का कार्यालय (जिला पंचायत शाखा), गिरिडीह ।

पंचायत स्वयंसेवकों के लिये आवश्यक सूचना

ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के निर्देशानुसार ''सरकार आपके द्वार'' अभियान के अंतर्गत सभी पंचायत स्वयंसेवकों का झारसेवा में रजिस्ट्रेशन प्रखण्ड स्तर पर किया जाना अनिवार्य है । अतः इस जिले के सभी पंचायत स्वयंसेवकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क कर ''सरकार आपके द्वार'' अभियान के अंतर्गत झारसेवा में अपना रजिस्ट्रेशन **दिनांक 23.07.2017 तक** अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

ह0/-

उपायुक्त, गिरिडीह ।

ज्ञापांक 824 /जि0पं0 दिनांक 21-07-2017

प्रतिलिपिः–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को इस सूचना की सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना का प्रकाशन सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में कराना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना को आज ही गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridh.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपिः–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना से आपके प्रखण्ड अंतर्गत सभी स्वयंसेवकों को अवगत कराते हुए झारसेवा में उनका रजिस्ट्रेशन दिनांक 23.07.2017 तक निश्चित रूप से करते हुए इसकी सूचना ई–मेल आई0डी0 panchayatiraj.giridih@gmail.com पर उपलब्ध कराई जाय ।

20/07/17

उपायुक्त, गिरिडीह ।